

पुस्तकालय प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन

“प्रकाशक कृपया ध्यान दें”

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता तथा उ०प्र० शासन की पुस्तकालय विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु उपयोगी पुस्तकों के चयन हेतु पुस्तकालय प्रकोष्ठ, माध्यमिक शिक्षा विभाग, 38-दरबारीलाल शर्मा मार्ग स्थित सचिवालय भवन, लखनऊ द्वारा हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा में कला एवं साहित्य, सामाजिक विज्ञान, धर्म एवं दर्शन, सामान्य एवं संदर्भ पुस्तकें, पापुलर साइंस, बाल साहित्य जिसमें नवसाक्षरोपयोगी पुस्तकें भी सम्मिलित हों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रकाशित नवीनतम पुस्तकें तथा ई-बुक्स के चयन हेतु इच्छुक प्रकाशकों/लेखकों से पुस्तकें/प्रस्ताव/आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

- I. विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में निम्न जानकारी अनिवार्य रूप से दो प्रतियों में अवश्य दी जाये, जो प्रत्येक पुस्तक के शीर्ष पृष्ठ पर भी पृथक से चरपा हो। सभी कालम भरने अनिवार्य होंगे :-

- I. प्रकाशक का नाम, पता, फोन/मोबाइल नम्बर, पैन नम्बर(पैन कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करें)।

- II.

1	2	3	4
पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुस्तक का आकार	हार्ड बाउण्ड अथवा पेपर बैक (कवर फ्लैप सहित अथवा फ्लैप रहित)
5	6	7	8
चित्रों का विवरण :- (1) संख्या (2) श्वेत-श्याम या रंगीन	पुस्तक की पृष्ठ संख्या	पुस्तक का मूल्य	प्रयुक्त कागज का विवरण (1) किस्म (2) जी०एस०एम०
9	10	11	12
आई.एस.बी.एन. नम्बर	विषय वस्तु	प्रकाशन वर्ष एवं संस्करण(प्रथम, द्वितीय, तृतीय)	कॉपीराइट की स्थिति (यथा-प्रकाशक/लेखक/अन्य)
13		14	
प्रकाशित पुस्तक की प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता भेजी जाने का प्रमाण संलग्न करें।		क्रयार्थ प्रस्तुत की जा रही पुस्तक क्या विगत वर्षों में क्रय की गयी है। यदि हाँ तो क्रय की गयी प्रतियों की संख्या, योजना का नाम तथा क्रय करने का वर्ष	

2. विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में उक्त जानकारी 'प्रज्ञान' पोर्टल(URL <https://www.library.up.gov.in>) पर 'प्रकाशक पोर्टल' के अन्तर्गत दिये गये फार्म पर अंग्रेजी लिपि (Font-Times New Roman Size-10) में भरकर उसका प्रिन्टआउट निकाल लें। पुस्तकों के साथ यह प्रिन्टआउट भेजा जाना अनिवार्य है। पुस्तकों का विवरण/सूचना एक्सेल शीट पर Email address librarycell.up@gmail.com पर भी ई-मेल द्वारा उपलब्ध करायें।
3. प्रकाशक/लेखक द्वारा प्रस्ताव के साथ विचारार्थ पुस्तकें निःशुल्क भेजी जानी होंगी, जो वापस नहीं की जायेगी।
4. क्रय हेतु विचारार्थ जमा करने हेतु संबंधित प्रकाशक का पुस्तक प्रकाशन में 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। यह शर्त लेखकों द्वारा स्वयं प्रकाशित पुस्तकों पर लागू नहीं होगी।
5. क्रय हेतु विचारार्थ जमा की जा रही पुस्तकों की सूची के साथ संबंधित फर्म का कैटलाग भी जमा करना अनिवार्य होगा।
6. प्रकाशित पुस्तकों की हिन्दी/अंग्रेजी के राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं जरनल्स में प्रकाशित समीक्षा की फोटोप्रति भी जमा की जा सकती है।
7. संदर्भ पुस्तकों की सूची जिसमें पुस्तक का संक्षिप्त विवरण सम्मिलित हो एवं पुस्तक समीक्षा भी हो जमा की जा सकती है।
8. विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तकों का आई.एस.बी.एन. पंजीकरण अनिवार्य है।
9. वर्ष 2025 और उसके बाद प्रकाशित पुस्तकों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
10. सामान्यतः पुस्तकों पर केवल मुद्रित मूल्य ही मान्य होंगे। जिन पुस्तकों के मूल्य बढ़ने की संभावना हो, ऐसी पुस्तकों के प्रस्ताव न भेजें।
11. पुस्तक में संस्करण (प्रथम, द्वितीय, तृतीय.....) का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है। प्रथम संस्करण का अर्थ पुस्तक के सर्वप्रथम प्रकाशित होने से है। पुरानी पुस्तक को नया नाम देकर अथवा पुराना टाइटिल फाड़कर नया टाइटिल लगाकर पुस्तकें प्रस्तुत न करें। यह स्थिति संबंधित फर्म के विरुद्ध जा सकती है।
12. पुस्तक की एक प्रति वाहक अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपने व्यय पर भेजे। रेलवे/ट्रांसपोर्ट की रसीद स्वीकार नहीं की जायेगी।
13. पुस्तकों के उत्पादन की गुणवत्ता (मुद्रण, पुस्तक बंधन, कागज आदि) उच्चकोटि की होनी चाहिए।
14. पुस्तकें दिनांक 15 जून 2026 से अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2026 के मध्य जमा की जा सकती हैं।
15. आदेशित पुस्तकों की आपूर्ति क्रयादेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर अवश्य की जानी होगी, अन्यथा की दशा में पुस्तकों की आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

16. पुस्तकों के साथ प्रत्येक प्रकाशक को इन्कम टैक्स का स्थाई नम्बर (पैन नम्बर), गत पाँच वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति, बैंक डिटेल् की बैंक द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
17. एक पैन नम्बर एवं एक पते से केवल एक ही फर्म का प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा।
18. प्रस्तुत की जा रही पुस्तकों का कापीराइट अथवा प्रकाशन का अधिकार प्रकाशक के पास होना अनिवार्य है।
19. पुस्तक वितरक भी प्रकाशन गृहों से अधिकार-पत्र प्राप्त कर पुस्तकें जमा कर सकते हैं।
20. सभी प्रस्ताव एवं पुस्तकें पुस्तक वितरण केन्द्र, राज्य पुस्तकालय सहयोग यूनिट(एस0एल0एस0यू0) भवन, 58-जगत नारायण रोड़, शिक्षा भवन परिसर, लखनऊ-226003 में अंतिम तिथि तक सभी कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक प्राप्त करायी जा सकती है।
21. उक्त संबंध में कृपया किसी भी सहायता के लिये हेल्पडेस्क email ID librarycell.up@gmail.com पर सम्पर्क करें।

विशेष:- उपर्युक्त शर्तों का पालन न करने पर यह स्थिति फर्म/प्रकाशक/संस्था के विरुद्ध जा सकती है।

आवश्यक टिप्पणी :-

उक्त शर्तें सभी प्रकाशकों/लेखकों पर लागू होगी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित राज्य पुस्तकालय समिति को प्रस्तुत पुस्तकों अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त पुस्तकों का चयन करने अथवा न करने अथवा उपयुक्त पायी गयी अधिक मूल्य की पुस्तकों का क्रय हेतु औचित्यपूर्ण मूल्य निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है। पुस्तक चयन/क्रय के सम्बन्ध में शासन स्तर पर गठित राज्य पुस्तकालय समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा इस संबंध में लेखकों व प्रकाशकों द्वारा अनावश्यक पत्र-व्यवहार नहीं किया जायेगा। पुस्तक चयन व क्रयादेश जारी होने के बाद भी समिति तथा शासन को कोई नई शर्त लगाने अथवा क्रयादेश निरस्त करने का अधिकार होगा।



(शान्त्वना तिवारी)
विशेष कार्याधिकारी,
पुस्तकालय प्रकोष्ठ,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।